न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—126/2016/223 (2016/00126)

1. हुक्मसिंह पुत्र घीसासिंह मुतबन्ना रामसिंह, जाति मेहरात, निवासी मालपुरा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर, दिनांक 22.2.2016 अंतर्गत वाद संख्या 80/2014 (46/2002)(34/2006).

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांकः— 24.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नंबर 95 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वाके मौजा मालपुरा, तहसील ब्यावर में स्थित है । उक्त खसरा नंबरों के खसरा नंबर 44 मिन, 66 मिन व 76 है तथा हाल खसरा नबर 60 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा की आराजी वादी को पुराने कब्जा काश्त के आधार पर दिनांक 31.5.1984 को आवंटित की गई थी तथा बाद में दिनांक 26.5.1993 को गैर खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे परन्तु उक्त आराजी में 3 बीघा भूमि आबादी की होना मानकर उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया लेकिन खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा पर वादी पिछले 50 वर्षो से काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है किन्तु विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से वादीगण को धारा 91 भू—राजस्व अधि0 का सामना करना पड़ रहा है । विवादित आराजी के संदर्भ में पुराना कब्जा होने के आधार पर दिनांक 21.11.1995 व 15.9. 2003 को नियमन करने की सिफारिश की गई है तथा पूर्व में भी आवंटन समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया किन्तु कोरम के अभाव में सुनवाई नहीं हो सकी । वादी विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का

अधिकारी है तथा तहसीलदार के घारा 91 भू–राजस्व अधि0 के नोटिस दिये जाते है वे निरस्त किये जावे तथा विकल्प में प्रकरण को नियमन एवं सिफारिश करके आवंटन हेतु नियमन के लिये भिजवाया जावे । अधी0न्याया0 ने दावा व जवाबदावा के आधार पर 8 तनकियात कायम की तथा साक्ष्य उपरांत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने निर्णय दिनांक 29.5.2004 के द्वारा वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अमेर के न्यायालय में अपील की गई जिसे हाजा न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.11.2005 के द्वारा प्रकरण को निर्देशों सहित रिमाण्ड किया। प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.12.2006 के द्वारा पुनः वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय में पुनः अपील की जिसे हाजा न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9.1.2008 द्वारा स्वीकार करके निर्देशो सहित रिमाण्ड किया । प्रकरण पुनः रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने पुनः निर्णय दिनांक 17.5.2012 के द्वारा वाद को खारिज कर दिया तथा प्रकरण को अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखे जाने के निर्देश पारित किये जिसकी अपील मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे हाजा न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9.5.2014 को पुनः अपील स्वीकार कर अपील को निर्देशों सहित रिमाण्ड किया तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने अपने निर्णय दिनांक 22.2.2016 के द्वारा वाद को खारिज करने के साथ प्रकरण को भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखे जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट के वाद को साबित नहीं होने के आधार पर खारिज करने में भूल की है वही दूसरी ओर पुराना कब्जा होना मानकर प्रकरण को अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखे जाने के आदेश पारित किये है तो फिर स्वतः ही वादी का वाद सिद्ध हो जाता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 को वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि दावा एवं जवाबदावा के आधार पर जो तनकियात कायम की गई है उसमें तनकी संख्या 1 यह कायम की गई कि आया वादी विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है तथ उक्त तनकी में अधी0न्याया0 ने अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होना माना है लेकिन आराजी सिवायचक होना मानकर अलोटमेंट कममेटी के समक्ष प्रकरण रखकर अलोटममेंट की कार्यवाही की जानी चाहिये और उक्त प्रकार तनकी को निर्णित कर दिया । जब अधी0न्याया0 स्वंय अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त मान रहे है और आवंटन कमेटी के समक्ष प्रकरण को रखे जाने के आदेश पारित कर रहे है तो फिर स्वतः ही उक्त तनकी अपीलांट के पक्ष में निर्णित हो जाती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 यह कायम थी कि आया वादी को विवादित भूमि को दिनांक 31.5.1984 को आवंटन किया गया तथा दिनांक 26.5.1993 को आदेश संख्या 81 से गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया गया जिसके कारण वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है । इस तनकी के संबंध में अधी0न्याया0 ने माना है कि पूर्व में खसरा नंबर 60 रकबा 65 बीघा 4 बिस्वा था जो वादी को

1984 में आवंटन किया गया था लेकिन जिलाधीश महोदय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया था तथा 3 बीघा भूमि आबादी में दे दी थी तथा शेष खसरा नंबर 60/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक दर्ज कर दी इसलिये उक्त सिवायचक भूमि को विधिवत् तरीके से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखा जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी जबकि उक्त 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलांट के पास अलोटमेंट के पूर्व से कब्जे काश्त में थी लेकिन उक्त आराजी में 3 बीघा भूमि को आबादी की होना मानकर आवंटन आदेश निरस्त किया था इसलिये शेष 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि की वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि बाबत् अलोटमेंट कमेटी की कार्यवाही किया जाना मानकर उक्त तनकी को निर्णित करने में त्रुटि की है । बहस में आगे निवेदन किया कि विवादित भूमि रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार हो चुका है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखे जाने के आदेश पारित किये है तो फिर वादी को अतिक्रमी नहीं माना जा ना चाहिये ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। नियमों में पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखने के विधिसम्मत् आदेश पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी मौजा मालपुरा तहसील ब्यावर स्थित साबिक खसरा नंबर 44 मिन, 66 मिन व 76 जिसके हाल खसरा नंबर क्रमशः 60/2, 78 व 95 रकबा क्रमशः 4 बीघा 4 बिस्वा एवं 1 बीघा 7 बिस्वा एवं 1 बीघा 2 बिस्वा बने है । आराजी खसरा नंबर 60 रकबा 6 बीघ्झा 4 बिस्वा का वादी को उसके पुराने कब्जे काश्त के आधार पर दिनांक 31.5.1984 को आवंटन किया गया था । खसरा नंबर 60 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा के आवंटन को विद्वान जिला कलक्टर अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 7.6. 1995 द्वारा निरस्त कर विवादित आराजियात को सिवायचक घोषित करते हुए उक्त आराजी में से 3 बीघा भूमि आबादी दर्ज कर दी किन्तु खसरा नंबर 60/2 में शेष बची भूमि 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है । उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 29.5.2004 के द्वारा खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 29.5.2004 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 11.11.2005 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.5. 2004 निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि सुनवाई कर तनकीवाईज पुनः नवीन निर्णय पारित करे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद दिनांक 4.12.2006 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा पुनः हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई ।

उक्त अपील प्रस्तुत होने पर हाजा न्यायालय ने निर्णय दिनांक 9.1.2008 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए साक्ष्य का पूर्ण विवचेन कर तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे । प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 17.5.2012 द्वारा अपीलांट का वाद पुनः खारिज करने के आदेश पारित किये तथा वादी के प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अलोटमेंट कमेटी के समक्ष रखने के आदेश भी पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने पुनः हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 9.5. 2014 को पारित कर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2008 में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन कर तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे । हाजा न्यायालय से उक्त प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण को पुनः दर्ज कर निर्णय दिनांक 22.2.2016 द्वारा अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय दिनांक 22.2.2016 के विरूद्ध यह अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है । हाजा न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 11.11.2005 में अपीलांट के प्रकरण को नियमन समिति में रखे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होने संबंधी आदेश पारित किया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट के प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष नहीं रखा गया है जिससे स्पष्ट है कि हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.11.2005 की पालना अधी0न्याया0 द्वारा नहीं की गई है । अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है अथवा नहीं इसका निस्तारण नियमन कमेटी के समक्ष कमेटी के कोरम द्वारा तय किया जावेगा । हम हाजा न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 11.11.2005 की पालना हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.2.2016 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्णय दिनांक 11.11.2005 की पालना कर पक्रण को यथासंभव 6 माह में निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर